

कार्यालय::न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ.ग.)

// आदेश //

क्र० 03 / दो-06-01 / 2013

धमतरी, दिनांक 03 मार्च, 2026

इस स्थापना अंतर्गत चतुर्थ संवर्ग के रिक्त भृत्य पद की नियुक्ति हेतु गठित भर्ती/चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर चयनित उम्मीदवार को भृत्य पद पर वेतनमान लेवल-1 में "अस्थाई" रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नांकित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	चयनित उम्मीदवार का नाम पिता का नाम व पता	पदस्थापना	वेतनमान	वर्ग
1	2	3	4	5
1	कु० पूजा सिन्हा पिता श्री चंद्र कुमार सिन्हा निवास गांधी चौक, कुरुद, तहसील कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)	कार्या.कुटुम्ब न्यायालय धमतरी	लेवल-1 (15600-49400)	अपिव मुक्त

नियुक्ति की शर्तें :-

01. आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी ।
02. जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण-पत्र 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
03. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने पर शासकीय सेवा के लिए यदि कोई विपरीत टिप्पणी प्राप्त हो अथवा सेवा अयोग्य पाया जाता है तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।
04. किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहेगा तथा बिना पूर्व अनुमति लिये किसी पद के लिए अथवा उच्च अध्ययन हेतु सीधे आवेदन या अध्यापन नहीं करेगा ।
05. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है । उभयपक्ष के द्वारा एक माह का वेतन एवं भत्तर अथवा एक माह पूर्व सूचना पत्र देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

(विनोद कुमार देवांगन)

न्यायाधीश,

कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ.ग.)

पृ०क्र० 103/ दो-06-01 / 2013

धमतरी, दिनांक 03 मार्च, 2026

प्रतिलिपि :-

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. प्रशासनिक अधिकारी/ लेखापाल कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
03. प्रस्तुतकार, कुटुम्ब न्यायालय धमतरी की ओर माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखे जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संबंधित कु. पूजा सिन्हा पता श्री चंद्र कुमार सिन्हा निवास गांधी चौक, कुरुद, तहसील कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित ।

(विनोद कुमार देवांगन)

न्यायाधीश,

कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ.ग.)